यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय वरिष्ठ अधीक्षक, उपकारागार, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **वरिष्ठ अधीक्षक, उपकारागार, हल्द्वानी** के माह 05/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री टी.एस.नेगी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री एस.के.डंग**, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक **09.11.2016** से **17.11.2016** तक **श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा **श्री राम सनेही,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री एस.के.सिंह,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **10.05.2014** से **19.05.2014** तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **09/2012** से **04/2014** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2014** से **10/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **उपकारागार, हल्द्वानी**

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ☐ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	0	0	277.37	271.57	0	5.80
2014-15	0	0	0	0	327.47	310.52	0	16.95
2015-16	0	0	0	0	372.74	370.68	0	2.06

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ☐ में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iv) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**बी**' की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव गृह कारागार
महानिरीक्षक कारागार
वरिष्ठ अधीक्षक
अधीक्षक

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में .... (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय वरिष्ठ अधीक्षक, उपकारागार, हल्द्वानी** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **09/2015 एवं 08/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **....................................** (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का

विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन.. (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 13 एवं 16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1: स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्तियों का कम होना।

जिला उपकारागार हल्द्वानी मे अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदो के सापेक्ष कार्यरत पदो की स्थिति निंम्नलिखित थी।

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	चिकित्सक	01	-	01 (100%)
2	चीफ फार्मासिस्ट	01	-	01 (100%)
3	प्रधान बंदीरक्षक	05	03	02 (40%)
4	बंदीरक्षक	40	20	20 50%)

उक्त उपकारागार मे वर्ष 2015 एवं 2016 मे रहने वाले कैदियों की संस्था इकाई की सूचना के अनुसार निम्न प्रकार थी।

वर्ष	कैदियों की संस्था		कुल	औसत (प्रतिमह)
	पुरुष	महिला		
2015	19391	699	20,090	670
2016	22352	728,	23,080	769

इस प्रकार विगत दो वर्षो मे जेल मे प्रतिमह औसत क्रमश: 670 व 769 कैदी बंदी रखे गए जबकि कारागार मे 251 बंदी रखने की क्षमता है।

इकाई मे चिकित्सक चीफ़ फार्मासिस्ट के पद रिक्त चल रहे है, तथा प्रधानबंदी रक्षक के 40% व बंदीरक्षक के 50% पद रिक्त है।

कैदियों की तबियत खराब होने व जेल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि चिकित्सक केंद्रीय औषधि भण्डार, हल्द्वानी से पार्ट-टाइम मे आते हैं। चिकित्सक का पद 12/2012 से रिक्त है। बंदीरक्षकों तथा प्रधान बंदी रक्षकों की कमी होने पर भी सुरक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है।

उत्तर संतोसजनक नहीं है, क्योंकि कारागार मे क्षमता से अधिक कैदी होने के बावजूद नियमित चिकित्सक का न होना तथा बंदी रक्षक व प्रधानबंदी रक्षक के 40% से 50% तक पद खाली रखने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-14/2014-15	-	01
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-20/2012-13	-	01,02,03 व 04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.- 14/2014-15	**भाग-2-ब प्रस्तर-01 STAN-01, 02**	सम्बन्धित कर्मचारी अवकाश पर चल रहे हैं। लेखापरीक्षा में निर्देशित/निर्धारित पारूप में लम्बित प्रकरणों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित महालेखाकार को अतिशीघ्र प्रेषित की जायेगी।		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.- 20/2012-13	**भाग-2-ब प्रस्तर-01, 02, 03, 04**	सम्बन्धित कर्मचारी अवकाश पर चल रहे हैं। लेखापरीक्षा में निर्देशित/निर्धारित पारूप में लम्बित प्रकरणों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित महालेखाकार को अतिशीघ्र प्रेषित की जायेगी।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय वरिष्ठ_अधीक्षक, उपकारागार, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः- शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	**श्री मनोज कुमार आर्या**	वरिष्ठ अधीक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय वरिष्ठ अधीक्षक, उपकारागार, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र